बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in ,Email- biada@rediffmail.com Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675002/2675889

कार्यालय आदेश

औद्योगिक इकाईयों को आवंटित की जाने वाली भूमि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के आलोक में अलग-अलग लीज अवधि पर आवंटित की जाती रही है। जिन इकाईयों की लीज अवधि समाप्त हो रही हैं, उनके द्वारा लीज अवधि को 90 वर्षों तक बढ़ाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में निदेशक पर्षद् की 46वीं बैठक दिनांक 28.08.14 में निर्णय लिया गया है कि:-

1. जिन इकाईयों का आवंटन 99 वर्ष के लिए है। उनका लीज अवधि 99 वर्ष के लिए हीं रहेगा। अन्य इकाईयों के लीज अवधि में एकरूपता लाने हेतु (90 वर्ष किए जाने हेतु) इसमें लगने वाले शुल्क के संबंध में पुनः अध्ययन कर आगामी बैठक में रखने का निदेश दिया गया।

2. साथ हीं यह भी निर्णय लिया गया कि जिन परियोजनाओं की स्थापना हेतु 99 वर्ष की लीज अवधि की आवश्यकता होगी, उस इकाई को आवश्यकतानुसार 99 वर्ष की अवधि के लिए लीज किया जाय।

लीज एकरूपता में लगने वाले शुल्क के संबंध में निदेशक पर्षद् की 50वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि- इकाईयों की लीज अवधि 90 वर्ष तक की शेष अवधि के लिए बढ़ाने हेतु बियाडा के वर्तमान भूमि दर के 15% राशि एवं अद्यतन बकाया राशि एक मुश्त जमा करना होगा। यह सुविधा उन्हीं इकाईयों को देय होगी जो आवेदन की तिथि में कार्यरत होंगी।

ह0/-
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांक 1847/ए ..... दिनांक 20/03/17

प्रतिलिपि :- कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना/भागलपुर/दरभंगा/मुजफ्फरपुर, आई.टी. पदाधिकारी, बियाडा पटना/ विशेष कार्य पदा0-सह-जन सम्पर्क पदा0, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/17

कार्यकारी निदेशक।

Order